

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मैनपुरी

आदेश

दिनांक: मई 2, 2025

संख्या 137 / 2025

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 4379/Admin.(E-1) Section/XC-4/2025 dated 11.04.2025 के द्वारा दिनांक 14.04.2025 को डाक्टर भीम राव अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के जनपद न्यायालयों में अवकाश घोषित किया गया है एवं कोई एक चतुर्थ शनिवार को न्यायालय कार्य दिवस के रूप में घोषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जनपद न्यायालय, मैनपुरी में पूर्व से दिनांक 14.04.2025 को डाक्टर भीम राव अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रभारी अधिकारी(प्रशासन)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, मैनपुरी श्रीमती इन्दिरा सिंह द्वारा दिनांक 14.04.2025 डाक्टर भीम राव अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर घोषित स्थानीय अवकाश को निरस्त करते हुये 07 नवम्बर 2025 को छट पूजा का स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है जो अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18.04.2025 को अनुमोदित किया गया है।

दिनांक 30.04.2025 को प्रभारी अधिकारी(प्रशासन)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, मैनपुरी श्रीमती इन्दिरा सिंह द्वारा पुनः संस्तुति पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि **“छट पूजा त्रुटि वश दिनांक 07 नवम्बर 2025 अंकित हो गया था जबकि 07 अक्टूबर 2025 को महर्षि बाल्मीकि जयन्ती का स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया जाना था। पुनः संशोधित करते हुये 07 अक्टूबर 2025 को महर्षि बाल्मीकि जयन्ती का स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने एवं दिनांक 28.06.2025(चतुर्थ शनिवार) को न्यायालय कार्य दिवस के रूप में घोषित किये जाने की संस्तुति की जाती है।”**

प्रभारी अधिकारी(प्रशासन)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, मैनपुरी श्रीमती इन्दिरा सिंह द्वारा प्रस्तुत संस्तुत पत्र दिनांकित 30.04.2025 अनुमोदित की जाती है एवं दिनांक 07.11.2025 को छट पूजा के स्थान पर दिनांक 07 अक्टूबर 2025 को महर्षि बाल्मीकि जयन्ती का स्थानीय अवकाश व दिनांक 28.06.2025(चतुर्थ शनिवार) को न्यायालय कार्य दिवस के रूप में घोषित किया जाता है।

तदनुसार उक्त आदेश की प्रति सभी सम्बन्धित को प्रेषित हो एवं जनपद न्यायालय के वेबसाईड पर अपलोड किया जाये।

आदेश की एक प्रति मैनपुरी बार एसोसिएशन को सूचनार्थ प्रेषित हो।

स्थानीय अवकाश की सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित की जाये।

(पंकज कुमार अग्रवाल)
जनपद न्यायाधीश
मैनपुरी